कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति – ये मार्ग दर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय महाविद्यालय में लागू होंगे।

2. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

2.1 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शासन के नियमानुसार ऑनलाइन फार्म भरा जायेगा। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर लगाई जावेगी।

बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–
स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जायेगा। किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही, प्रवेश दिया जायेगा।

2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के पुर्नमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होंगी।

2.4 स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश पात्रता होगी।

3. प्रत्येक कक्षा के लिये सीट संख्या एवं अध्यापन के विषयों का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्ष में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि तथा शासन की अनुमति के आधार पर विभिन्न कक्षाओं के लिए निम्नानुसार प्रवेश संख्या निर्धारित है :–

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	संकाय	स्वीकृत सीट संख्या
1.	बी.ए.	कला	90
2.	बी. कॉम.	वाणिज्य	90
3.	बी.एससी.	गणित (गणित, भौतिकी, रसायन)	45
		विज्ञान (वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायन)	45

अध्ययन के विषय सेमेस्टर पद्धति

स्नातक स्तर पर लिए जाने वाले विषय

DSC – 3, GEC – 1, AEC – 1, SEC – 1, VAC – 1

स्नातक स्तर पर NEP-2020 के तहत नियमित विद्यार्थियों हेतु

शासन के निर्देशानुसार NEP-2020 के तहत स्नातक स्तर पर सत्र 2024–25 से महाविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली एवं CBCS लागू की गयी है, जिसकी विस्तृत जानकारी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध है।

(i) CBCS पद्धति में विद्यार्थियों को कोर कोर्सेस के अतिरिक्त विभिन्न वैकल्पिक विषयों के कोर्सेस लेने की सुविधा दी गई है। इसके तहत वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा संचालित अध्ययन–अध्यापन योजना निम्नानुसार है :–
सत्र 2024–25 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए

CCFUP for B.Sc. (Maths & Life Science) and B.A.

SEM	DSC (4C)	DSE	Generic Electiv	Ability Enhancement Course (ASC) (2C)	Skill Enhancement Course/Value Added Courses	Total Credits
I	DSC A1- (4C) DSC B1- (4C) DSC C1- (4C)		GE-01 (4C) from the Pool	AEC-01 (2C) From the Pool (EVS/Eng./Hindi)	VAC-01 (2C) from the Pool	20 Credits
II	DSC A2- (4C) DSC B2- (4C) DSC C2- (4C)		GE-02 (4C) from the Pool	AEC-02 (2C) From the Pool (EVS/Eng./Hindi)	SEC-01 (2C) from the Pool	20 Credits
Students on exit shall be awarded undergraduate certificate (in the field ofmultidisciplinary study) after securing the requisite 44 credits ***(Extra 4 credits of Voc/Skill Course haveto be earned from any recognised platfarm)***						40 Credits

CCFUP for B.Com.

SEM	DSC (4C)	DSE	Generic Electiv	Ability Enhancement Course (ASC) (2C)	Skill Enhancement Course/Value Added Courses	Total Credits
I	DSC A1- (4C) DSC A2- (4C) DSC A3- (4C)		GE-01 (4C) from the Pool	AEC-01 (2C) From the Pool (EVS/Eng./Hindi)	VAC-01 (2C) from the Pool	20 Credits
II	DSC A4- (4C) DSC A5- (4C) DSC A6- (4C)		GE-02 (4C) from the Pool	AEC-02 (2C) From the Pool (EVS/Eng./Hindi)	SEC-01 (2C) from the Pool	20 Credits
Students on exit will be awarded undergraduate certificate by securing the requisite 44 credits (Extra 4 credits of Voc/Skill Course haveto be earned from any recognised platfarm)						40 Credits

(ii) 2024–25 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु लागू 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के लिए सैम्पल कोर्स प्लान

Course Plan for a Semester of 4 Yr UG Program				
B.A./B.Sc./B.Com – First/Second Semester				
Course Type		Credits	Name	Specification
Dicipline Specific Core Courses	DSC 1	4		Compulsory
	DSC 2	4		Compulsory
	DSC 3	4		Compulsory
Velue Added Courses	VAC	2	From Pool of VACs	Elective to be opted from the list
Ability Enhancement Courses	AEC	2	From Pool of AECs	Elective to be opted from the list
Generic Elective Courses	GEC	4	From Pool of GECs	Elective to be opted from the list (Courses other than core dicipline)

अध्ययन के विषय वार्षिक पद्धति

(क) कला संकाय – बी.ए. – द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

अनिवार्य विषय– (1) हिन्दी भाषा (2) अंग्रेजी भाषा (3) पर्यावरण अध्ययन

अनिवार्य विषय– (1) भूगोल (2) समाजशास्त्र (3) राजनीति विज्ञान

(ख) विज्ञान संकाय – बी.एससी. – द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

अनिवार्य विषय– (1) हिन्दी भाषा (2) अंग्रेजी भाषा (3) पर्यावरण अध्ययन

अनिवार्य विषय समूह –

(1) गणित समूह – (1) गणित (2) भौतिकशास्त्र (3) रसायनशास्त्र

(2) जीवविज्ञान समूह– (1) वनस्पतिशास्त्र (2) जन्तुविज्ञान (3) रसायनशास्त्र

(ग) वाणिज्य संकाय – बी.कॉम. – द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

बी.कॉम. – द्वितीय

अनिवार्य विषय– (1) हिन्दी भाषा (2) अंग्रेजी भाषा (3) पर्यावरण अध्ययन

(1) लेखांकन (2) व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत (3) लागत लेखांकन

(4) कम्पनी अधिनियम (5) सांख्यिकी (6) उद्यमिता के सिद्धांत

बी.कॉम. – तृतीय

अनिवार्य विषय– (1) हिन्दी भाषा (2) अंग्रेजी भाषा (3) पर्यावरण अध्ययन

(1) आयकर (2) अप्रत्यक्ष कर (3) प्रबंधकीय लेखांकन

(4) अंकेक्षण

ऐच्छिक विषय (ग्रुप–बी) (1) विपणन के सिद्धांत (2) अन्तर्राष्ट्रीय विपणन